

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज.)

प्रकरण संख्या 42/2017

मांगीलाल लायक बनाम रामपुरग लायक वीर्य

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक-16/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री - मांगीलाल लायक - ने जरिये आराजी नं० 505, 746, 748/1, 756, 948/505, 1063/948
श्री M. K. पट्टियाट्टु ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल
खाते की भूमि ग्राम होडा प0ह0 होडा तह0 माण्डलगढ में आ
रकबा 267 की आराजी नं० 505, 746, 748/1, 756, 948/505, 1063/948
विस्वा 6 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आरा
विवाद का लेकर झगडा फिसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कया
साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान ओ
की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2073 के अवलोकन से प्रार्थी
आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद का
शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव
है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार कि
ग्राम-होडा की आराजी नं०-505, 746, 748/1, 756, 948/505, 1063/948
रकबा 9 बीघा 11 विस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी
के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया
कमीशनर फीस 500 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा कया
पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तान
माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।